प्रकरण संख्या 08/2024 श्रीमती केशरसिंह व अन्य बनाम ईश्वरसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.09.2025	1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गोठडा में आराजी नंबर 1210, 154, 171, 215 कुल किता 4 रकबा 2.5322 भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है। भूमि संयुक्त रूप से दर्ज होने से भूमि विकास करने में समस्या आ रही है। अतः पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि का उपरोक्तानुसार विभाजन किया जाकर खाते अलग–अलग किये जावे। 2. अधीनस्थ न्यायालय अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 03.07.2024 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.10.2024 को प्रस्तुत की गई है। 3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश चौबीसा उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल पाटीदार उपस्थित हुए। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री लालसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। 4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकियां कायम की गयी, किन्तु तनकियों का कोई विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द करने की आदेशिका अंकित करते हुए वादीगण का वाद डिक्री कर दिया, जिससे अपीलान्टगण को स[illegible] करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट[illegible] जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री निरस्त	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:41:28 IST
Reason: SelfAttested

शु.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

की जावे।

5. रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.2022 को कुल 6 तनकियां कायम की, किन्तु अपने निर्णय में उक्त तनकियों पर कोई भी विवेचन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.07.2024 अनुसार वादी की साक्ष्य बन्द की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी ने प्रस्तुत नहीं करना चाह सीधी बहस की। उक्त आदेशिका से स्पष्ट है कि अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

7. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 03.07.2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में कायम शुदा तनकियों पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.11.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 09.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

9.9.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:41:28 IST
Reason: SelfAttested